

प्रेषक,

संजीव मित्तल,  
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं  
वित्त आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 29 सितम्बर, 2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-2021 की वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट में प्रावधानित धनराशि के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 द्वारा जारी किये गये हैं । उक्त के अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में भुगतान एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 11 अप्रैल, 2020 जारी किया गया, जिसके कतिपय प्रावधानों को शासनादेश दिनांक 24 जुलाई, 2020 द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया ।

2- कोविड-19 महामारी के चलते राज्य सरकार के संसाधनों पर असर पड़ा है । इस महामारी की रोकथाम सम्बन्धी कार्यों तथा अन्य आवश्यक कार्यों पर भी राज्य सरकार द्वारा काफी धनराशि व्यय की गयी है । राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के उचित प्रबन्धन के लिये यह आवश्यक है कि कार्यदायी संस्थाओं के पास दो माह के सम्भावित व्यय से अधिक धनराशि उपलब्ध न रहे । इससे कार्य भी प्रभावित नहीं होंगे तथा अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी नहीं रहेगी ।

3- अतः वर्तमान परिस्थितियों में सम्यक् विचारोपरान्त केश मैनेजमेन्ट के दृष्टि से मानक मद "24-वृहत् निर्माण कार्य" के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं -

- (1) नये निर्माण कार्य वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत किये जायेंगे तथा प्रथम किश्त की धनराशि वित्त विभाग की सहमति से अवमुक्त की जायेगी ।
- (2) निर्माण कार्य की अनुवर्ती किश्तें निम्नवत् जारी की जायेंगी -
  - (i) यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 10 करोड़ तक है तो पूर्व में जारी की गयी धनराशि के 75 प्रतिशत सन्तोषजनक रूप से व्यय हो जाने के उपरान्त लागत की 20 प्रतिशत धनराशि तक प्रशासकीय विभाग कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करने हेतु निर्णय लेने के लिये अधिकृत होंगे ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- (ii) यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 10 करोड़ से अधिक एवं रुपये 50 करोड़ तक है तो पूर्व में जारी की गयी धनराशि के 75 प्रतिशत सन्तोषजनक रूप से व्यय हो जाने के उपरान्त लागत की 15 प्रतिशत धनराशि तक अथवा रुपये 5 करोड़, जो भी कम हो, प्रशासकीय विभाग कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करने हेतु निर्णय लेने के लिये अधिकृत होंगे ।
- (iii) यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 50 करोड़ से अधिक है तो पूर्व में जारी की गयी धनराशि के 75 प्रतिशत सन्तोषजनक रूप से व्यय हो जाने के उपरान्त लागत की 10 प्रतिशत धनराशि तक अथवा रुपये 20 करोड़, जो भी कम हो, प्रशासकीय विभाग कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करने हेतु निर्णय लेने के लिये अधिकृत होंगे ।

4- केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ पूर्ववत् वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही जारी की जायेंगी ।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 07 अप्रैल, 2020 की शेष व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी ।

भवदीय,

संजीव मित्तल  
अपर मुख्य सचिव, वित्त  
एवं वित्त आयुक्त ।

संख्या : 10/2020/बी-1-564(1)/दस-2020-231/2020, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- 2 महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- 3 अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
- 4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
- 5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
- 6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
- 8 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 9 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 10 गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित  
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।